

“भारत की परमाणु नीति तथा वैश्विक परमाणु व्यवस्था”

डॉ. विकास भड़िया

सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान), राजकीय महिला महाविद्यालय, झुंझुनू

शोधसार

भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का पक्षधर है, भारत परमाणु हथियारों को विश्व शांति व सुरक्षा के लिए घातक मानता है, भारत ने सदैव परमाणु शस्त्रों का विरोध किया है, भारत परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थक है, जिसका तात्पर्य यह है कि सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त किया जाए, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1988 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु निःशस्त्रीकरण का तीन चरणों वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया था इसके अतिरिक्त भारत ने परमाणु हथियारों के सभी वैश्विक प्रयासों का समर्थन व सहयोग किया है, लेकिन परमाणु शक्ति सम्पन्न देश अपने परमाणु हथियारों को समाप्त करने की बजाय इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि दूसरे देश परमाणु हथियार प्राप्त न कर सकें, भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की इस भेदभावकारी नीति का विरोध करता है।

परमाणु तकनीकी को दोहरी तकनीकी माना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों तथा विध्वंसक गतिविधियों दोनों के लिए किया जाना संभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के प्रमुख दो शहरों नागासाकी व हिरोशिमा शहर पर क्रमशः 6 व 9 अगस्त 1945 को परमाणु हथियारों के प्रयोग के बाद परमाणु तकनीकी को राष्ट्रों की शक्ति व प्रभाव का प्रतीक माना जाने लगा है, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े देशों जैसे - रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन में परमाणु तकनीकी अर्जित करने की होड़ लग गई थी, परमाणु तकनीकी के विकास की प्रक्रिया में 21वीं शताब्दी में परमाणु तकनीकी के दोनों रूप सामने आ चुके हैं।

पहला; परमाणु हथियारों की विध्वंसक क्षमता को विश्व शांति के लिए खतरा माना गया तथा संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण, अप्रसार तथा निःशस्त्रीकरण के प्रयासों को संस्थागत रूप दिया गया, दूसरा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के प्रयास भी आरम्भ किए और आज इसको स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है,

पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में भारत की परमाणु नीति अर्थात् परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण एवं विकास कार्यों के लिए करना था न कि परमाणु शस्त्र के निर्माण के लिए। पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1955 में समस्त परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि भारत कभी विनाशकारी हथियारों का निर्माण नहीं करेगा।

➤ भारत के परमाणु कार्यक्रम -

भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का पक्षधर है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम डॉ. होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1950 के दशक में शुरू किया गया जो एक त्रि-स्तरीय कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और थोरियम संसाधनों का उपयोग करना है। भारत ने विद्युत उत्पादन के लिए कनाडा, अमरीका, रूस, फ्रांस आदि देशों के साथ मिलकर परमाणु संयंत्रों की स्थापना की। भारत परमाणु बिजली के उत्पादन पर जोर दे रहा है, क्योंकि परमाणु बिजली पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से सुरक्षित है, इस कड़ी में सबसे पहला परमाणु संयंत्र 1969 में अमरीका की तकनीकी सहायता से लगाया गया था जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक भूमिका अदा करते हुए आज भी बिजली की आपूर्ति जारी रखे हुए है। वर्तमान में भारत में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं जिनकी स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट विद्युत है। इनमें प्रमुख हैं - तारापुर (महाराष्ट्र), रावतभाटा (राजस्थान), काकरापार (गुजरात), कैगा (कर्नाटक), कल्पक्कम (तमिलनाडु), कुडनकुलम (तमिलनाडु), नरोरा (उत्तर प्रदेश)। इसके साथ ही वर्तमान में 11 नये परमाणु संयंत्रों का निर्माण हो रहा है, जिनकी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता 8100 मेगावाट होगी, भारत ने वर्ष 2032 तक 63000 मेगावाट परमाणु विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारत ने वर्ष 2032 तक 63000 परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग की दृष्टि से आवश्यक क्षमता अर्जित कर ली है, लेकिन यूरेनियम के घरेलू स्रोतों की कमी तथा परमाणु ईंधन की उन्नत पुनर्संस्करण तकनीकी के अभाव में भारत का परमाणु कार्यक्रम बाधित होता रहा है।

➤ परमाणु परीक्षण तथा भारत का वैश्विक परमाणु अलगाव -

भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को विकसित करने लिए परमाणु परीक्षण भी किए हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में 18 मई, 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया इसका कूट नाम 'स्माइलिंग बुद्धा' रखा गया है, भारत इस परीक्षण को शांतिपूर्ण आण्विक परीक्षण मानता है, परमाणु तकनीक दोहरे प्रयोग वाली तकनीक है, क्योंकि एक ही तकनीक का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों तथा हथियार बनाने दोनों के लिए किया जा सकता है। अंतर केवल इतना ही है कि विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम की परिशुद्धता 3 से 5 प्रतिशत होती है जबकि परमाणु हथियारों में प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम की परिशुद्धता 20 प्रतिशत या इससे अधिक होती है। अतः अमरीका व अन्य देश भारत के उक्त परीक्षण को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, परिणामस्वरूप इस परीक्षण के उपरान्त अमरीका तथा अन्य देशों ने भारत के विरुद्ध परमाणु तकनीकी व ईंधन देने पर प्रतिबंध लगा दिये थे, इस परीक्षण के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व के परमाणु ईंधन सम्पन्न देशों द्वारा 1974 में ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह अर्थात् न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG) की स्थापना की गई, निर्धारित नियमों के अनुसार परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य देश केवल उसी देश को शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ईंधन व तकनीक उपलब्ध कराते हैं, जिसने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर कर दिए हों तथा अपने परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में संचालित करने हेतु सहमति व्यक्त की हो, भारत अपनी विशेष सुरक्षा चुनौतियों के कारण परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की उक्त शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं था। अतः भारत के लिए अन्य देशों से परमाणु ईंधन व तकनीक मिलने के रास्ते बंद हो गए, इसके बाद वैश्विक स्तर पर परमाणु क्षेत्र में भारत का अलगाव प्रारम्भ हो गया। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु

परीक्षण 11 व 13 मई 1998 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जैसलमेर जिले के पोखरण में किया, इसी के साथ भारत को अघोषित रूप से परमाणु हथियारों की क्षमता भी प्राप्त हो गई। इस परमाणु परीक्षण के बाद भी अमरीका ने भारत के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की थी लेकिन भारत की स्थिति से संतुष्ट होकर अमरीका ने 2001 में प्रतिबंध हटा लिए थे।

➤ परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी), व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर भारत का दृष्टिकोण -

सैद्धांतिक दृष्टि से भारत शुरू से ही परमाणु निःशस्त्रीकरण का सदैव समर्थन करता आ रहा है परंतु भारत अपने इस दृष्टिकोण को विश्व-समुदाय के समक्ष दोहराता रहा है कि वह परमाणु अप्रसार संधि व सी.टी.बी.टी. का विरोध इस आधार पर कर रहा है कि ये संधियां एक भेदभाव रहित अप्रसार व्यवस्था के निर्माण में सहायक नहीं हैं। भारत ने निम्न तीन तर्कों के आधार पर परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।

- यह संधि भेदभावपूर्ण है जो पाँच परमाणु शस्त्र देशों (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन) व गैर-परमाणु शस्त्र देशों के बीच स्पष्ट भेद करती है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून या संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध है। भारत का तर्क है कि परमाणु शस्त्र देश जैसे अमेरिका ने 1945 से आज तक हजारों परमाणु विस्फोट किए लेकिन उसके खिलाफ किसी भी देश ने आवाज नहीं उठाई परंतु जब भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोकरण में किया तो अमेरिका व अन्य पश्चिमी तथा परमाणु शस्त्र देशों ने भारत की तीव्र निंदा की।
- भारत का यह तर्क है कि जब तक परमाणु शस्त्र देश अपने विशाल परमाणु आयुध भंडारों को नष्ट नहीं कर देते, उन्हें अन्य देशों को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
- भारत एन.पी.टी. को अंदरूनी तौर पर दोषपूर्ण मानता रहा है। इराक व उत्तरी कोरिया ऐसे दो देश हैं जिन्होंने एक तरफ तो इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए परंतु दूसरी ओर वे परमाणु कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अतः भारत का कहना है कि ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करने से कोई प्रयोजन सफल नहीं होता है।

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन जनवरी, 1994 में जिनेवा में शुरू हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य इस संधि के प्रारूप को तैयार करना था कि ताकि परमाणु हथियारों के फैलाव को समग्र दृष्टि से रोका जा सके। जिनेवा में सी.टी.बी.टी. के प्रारूप पर अंतिम बहस (अगस्त 1996) के दौरान भारत ने सी.टी.बी.टी. के प्रारूप पर हस्ताक्षर करने से निम्न कारणों से मना कर दिया –

- भारत सी.टी.बी.टी. के उस प्रावधान का विरोधी है जिसके अंतर्गत यह शर्त लगाई गई है कि जब तक भारत, पाकिस्तान व इजराइल इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक यह संधि लागू नहीं मानी जायेगी।
- भारत का कहना है कि इस संधि में परमाणु शस्त्रों को नष्ट करने के संबंध में कोई निश्चित समयावधि का उल्लेख नहीं है।
- यह संधि भेदभावपूर्ण अर्थात् जब तक सार्वभौमिक परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में परमाणु शस्त्र देश कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, भारत इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

❖ भारत द्वारा परमाणु हथियारों का विकल्प खुला रखने का कारण -

भारत निःशस्त्रीकरण का समर्थक है लेकिन फिर भी भारत ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु हथियार अर्जित करने का विकल्प खुला रखा है, विकल्प खुले रखने का मतलब यह है कि भारत अपनी आवश्यकता के अनुसार परमाणु हथियार बना सकता है। इस विकल्प को खुले रखने का मुख्य कारण यह है कि भारत का पड़ोसी देश चीन घोषित रूप से परमाणु हथियार सम्पन्न देश है, जबकि उसकी सहायता से पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार व मिसाइलों का निर्माण कर लिया है। इन दोनों ही पड़ोसी देशों के साथ भारत के कई युद्ध हो चुके हैं तथा तनावपूर्ण संबंध बने रहते हैं। अतः भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का विकल्प खुला रहना आवश्यक है।

❖ भारत की परमाणु नीति -

उल्लेखनीय है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी परमाणु नीति की घोषणा नहीं की है, लेकिन परमाणु हथियारों के सम्बन्ध में भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट होती हैं।

- पहले प्रयोग नहीं - भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। यह केवल किसी अन्य देश द्वारा भारत या भारतीय सेना पर परमाणु हमले के जवाब में उपयोग किए जायेंगे।
- विश्वसनीय न्यूनतम निवारण - भारत केवल उतने ही परमाणु हथियार रखेगा जो दुश्मन को डराने और आत्मरक्षा के लिए आवश्यक हों, न कि हथियार प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए।
- प्रभावी जवाबी कार्रवाई - यदि किसी अन्य देश द्वारा भारत पर परमाणु हमला किया जाता है, तो भारत का जवाब इतना भयानक होगा कि दुश्मन को बहुत अधिक नुकसान हो।
- गैर-परमाणु सम्पन्न देशों के विरुद्ध प्रयोग नहीं - भारत किसी भी ऐसे देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा, जिसके पास ये हथियार नहीं हैं।
- नागरिक नेतृत्व द्वारा कमान - परमाणु हमले को अधिकृत करने का अंतिम अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली परमाणु कमान प्राधिकरण) के पास है, न कि सेना के पास।
- शांतिपूर्ण उपयोग - रक्षा के अलावा, भारत परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन, चिकित्सा, कृषि जैसे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करने पर जोर देता है।
- परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन - भारत एक ऐसे विश्व का समर्थन करता है जो परमाणु हथियारों से मुक्त हो और वह भेदभावपूर्ण संधियों जैसे सी.टी.बी.टी. और एन.पी.टी. का विरोध करता है।
- जैविक या रासायनिक हमले के विरुद्ध विकल्प - यदि भारत के ऊपर बड़ा जैविक या रासायनिक हमला होता है तो भारत जवाबी कार्यवाही में परमाणु हथियारों का उपयोग करने का विकल्प खुला रखता है।
- ❖ वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भारत का समायोजन -

वर्तमान समय में परमाणु हथियारों के विकास तथा प्रसार पर रोक लगाने के लिए कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्थाएं कार्यरत हैं। भारत का प्रयास है कि भारत इन कानूनी व्यवस्थाओं में शामिल होकर परमाणु शस्त्र नियंत्रण के वैश्विक प्रयासों में अपना योगदान दे सके। इन कानूनी व्यवस्थाओं में भारत की स्थिति निम्नवत् है -

- मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल व्यवस्था (MTCR) - भारत 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का 35 वां पूर्ण सदस्य बना। एमटीसीआर 1987 में स्थापित एक अनौपचारिक, राजनीतिक समझौता है, जो 500 किमी से अधिक की दूरी तक 300 किलोग्राम से अधिक वजन ले जाने वाली मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों के प्रसार को रोकने पर केंद्रित है।

- वैसेनार व्यवस्था - वैसेनार व्यवस्था 1996 में स्थापित एक स्वैच्छिक, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समझौता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली तकनीकों (सैन्य व नागरिक) के हस्तांतरण में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। इसमें भारत 2017 में इसका 42वां सदस्य बना है। भारत जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए वैसेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत के इस समूह में शामिल होने से रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए उच्च तकनीक तक पहुँच आसान हुई है। यह एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत करता है।
- आस्ट्रेलिया समूह - इसकी स्थापना 1985 में आस्ट्रेलिया के नेतृत्व में हुई थी, इसमें 42 देश हैं। इसमें ऐसे निर्यात पर रोक लगाई जाती है जिससे नरसंहारकारी हथियारों को बढ़ावा मिल सके। भारत जनवरी, 2018 से इसका सदस्य है।
- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) - 48 देशों के इस समूह की स्थापना 1974 में की गई थी, चीन के विरोध के कारण भारत इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सका है। यह समूह उन देशों को परमाणु ईंधन तथा तकनीक के आयात पर प्रतिबंध लगाता है, जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उल्लेखनीय है कि चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल व्यवस्था, वैसेनार व्यवस्था तथा आस्ट्रेलिया समूह का सदस्य नहीं है, अन्यथा उसके विरोध के कारण इन तीनों समूहों की सदस्यता भारत को नहीं मिल पाती।
- परमाणु सुरक्षा सम्मेलन व भारत - परमाणु सुरक्षा का तात्पर्य परमाणु सामग्री, हथियारों व तकनीक को अनाधिकृत रूप से आतंकवादी समूहों तथा संगठित अपराधियों के हाथ में जाने से रोकना है। आतंकवाद के बढ़ते खतरे के कारण परमाणु सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। परमाणु सुरक्षा के लिए अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए चार वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन किया है।

पहला परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2010 वाशिंगटन में, दूसरा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2012 सियोल में, तीसरा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2014 हेग में, चौथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2016 वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। चौथे सम्मेलन में भारत सहित पचास देशों के शीर्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उसमें परमाणु सुरक्षा के लिए देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने तथा राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु सुरक्षा तंत्र मजबूत करने पर बल दिया गया। भारत ने इन प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है।

❖ निष्कर्ष :

पं. जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल से ही भारत की परमाणु नीति एक पथ की थी जिसका तात्पर्य भारत द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण एवं विकास कार्यों के लिए करना था न कि परमाणु शस्त्र के निर्माण के लिए। पं० नेहरू ने 1955 में समस्त परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साफ शब्दों में कह दिया था कि भारत कभी विनाशकारी हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। 1960 के दशक में भारत की सुरक्षा चिंताएं गहराती गईं जिसके परिणामस्वरूप भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था। तत्पश्चात, भारत ने 1974 में पोकरण-I तथा 1998 में पोकरण-II के नाम से परमाणु परीक्षण किए इसका एक प्रमुख कारण यह भी है भारत को चीन व पाकिस्तान के साथ अनेक बार युद्ध का सामना करना पड़ा और

दोनों ही परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हैं। तो भारत के लिए परमाणु परीक्षण करना आवश्यक हो गया। भारत ने पहले आक्रमण न करने, विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधन की पालना, किसी भी देश द्वारा भारत के खिलाफ परमाणु शस्त्रों के उपयोग एवं चुनौती को प्रतिरोधित करना, परमाणु शस्त्रों का उपयोग उन देशों के खिलाफ नहीं करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, प्रतिरोधन के तहत भारत पर्याप्त परमाणु बल रखेगा, एक शक्तिशाली कमान और नियंत्रण प्रणाली कायम रखेगा, प्रभावी खुफिया और पूर्व चेतावनी क्षमता, कार्रवाई के लिए योजना और प्रशिक्षण जारी रखेगा एवं परमाणु बलों और हथियारों की तैनाती की दृढ़ इच्छा का परिचय देता रहेगा। भारत एक भेदभाव रहित परमाणु निःशस्त्रीकरण व्यवस्था भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। भारत शीघ्र ही परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा। चूंकि परमाणु शस्त्र के प्रथम प्रहार का निषेध भारत की आधारभूत वचनबद्धता है इसलिए भारत अन्य परमाणु शस्त्र देशों को भी तैयार करने की कोशिश करेगा कि वे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल हों जो परमाणु शस्त्रों के प्रथम उपयोग पर प्रतिबंध लगाए। अतः परमाणु शस्त्रों की विनाशकारी क्षमता को ध्यान में रखते हुए विश्वास निर्माण सम्बंधी कदम उठाए जाने चाहिए।

संदर्भ सूची -

- (1) अंतर्राष्ट्रीय संबंध - प्रो. बी.एम. जैन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर / डॉ. पुष्पेश पंत
- (2) 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध - टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिशिंग कम्पनी लि. नई दिल्ली
- (3) भारत की विदेश नीति - वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा. लि. नई दिल्ली
- (4) अंतर्राष्ट्रीय संबंध - डॉ. बी.एल. फड़िया, डॉ. कुलदीप फड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
- (5) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति - डॉ. बी.एल. फड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
- (6) प्रतियोगिता दर्पण - मई, 2022